

सुप्रीम कोर्ट ने गहलोट के नज़दीकी कल्पतरू ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ फैसला सुनाया और उनकी याचिका खारिज की

इस फैसले के अनुसार अब वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को इन कंपनियों को अतिरिक्त पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और आर्बिट्रेशन में इसी मामले पर चल रहे विवाद का निस्तारण अनुबंधन की शर्तों के अनुसार ही हो सकता है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 22 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने श्री शुभम लॉजिस्टिक्स की अवमानना याचिका खारिज करते हुए राजस्थान राज्य भंडारण निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि भंडारण निगम ने 8 करोड़ रु. का जो आंशिक भुगतान इस कंपनी को किया है, वह पर्याप्त है, अब इसके अतिरिक्त एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। शीफ अदालत ने श्री शुभम लॉजिस्टिक्स को फटकार लगाते हुए कहा कि, उन्हें भंडारण निगम से भुगतान की राशि प्राप्त करने के लिए बकाया बैंक गारंटी भी देनी होगी और अनुबंध की अन्य शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन में लिखित विवाद का निस्तारण अनुबंध और उसकी शर्तों के आधार पर होगा।

ज्ञात रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोट के करबी कल्पतरू ग्रुप की कंपनी श्री शुभम लॉजिस्टिक्स व ऑरिगो कोमोडिटीज को वर्ष 2020 में राज्य भंडारण निगम के 71 गोदामों में संचालन व रखरखाव का ठेका दिया गया था। इन दोनों कंपनियों द्वारा लगातार

वर्ष 2020 में वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन ने, उनके 71 गोदामों के संचालन व रख रखाव का ठेका इन कंपनियों को दिया था। इन कंपनियों पर ठेके की शर्तों के उल्लंघन, जैसे गोदामों में रखी फसलों का बीमा कराना, सरकारी कर्मचारियों से गोदामों की व्यवस्था आदि के लिए काम लेना, आदि के कारण वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन ने इन कंपनियों पर आर्बिट्रेशन में चल रहे मामले में 202 करोड़ रूपए का क्लेम किया हुआ है।

दूसरी ओर कंपनियों ने कॉरपोरेशन पर लगभग 70 करोड़ रूपए का काउंटर क्लेम किया है।

जैसा कि विदित है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसी वर्ष मई में एक पत्र में कहा था कि "गहलोट के करीबी", इन कंपनियों के संचालकों ने लगभग 150 करोड़ रूपयों का घोटाला किया है। कृषि मंत्री ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को भी उद्धृत किया था।

शुभम लॉजिस्टिक्स ने सुप्रीम कोर्ट में कॉरपोरेशन से 15 करोड़ रूपये +2 करोड़ रूपये "रनिंग बिल्लस" (सितम्बर 2024 से) के भुगतान करवाने की गुहार की थी जो लगभग 23 करोड़ रूपये होता, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेशन द्वारा किये गये 8 करोड़ रूपये के आंशिक भुगतान को ही उचित माना और कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।

पिछले 5 सालों से निविदा की शर्तों, जैसे करोड़ों रु. की कृषि उपज का बीमा नहीं कराने, बैंक गारंटी नहीं चुकाने, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने, कृषि उपज के रखरखाव में लापरवाही,

कीटनाशक नहीं छिड़कने और गोदामों को भराव क्षमता की 70 प्रतिशत से कम उपयोग में लेकर राजस्थान सरकार को करोड़ों रु. का नुकसान पहुंचाया गया और शुभम लॉजिस्टिक्स पर भारी गवन

का आरोप भी लगाया।

इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गत 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीर के खुंखार आतंकी को प.बंगाल में पकड़ा

आतंकी जावेद मुंशी आई.ई.डी. विशेषज्ञ हैं व मुस्लिम लीग का पुनर्जीवित करना चाहता है

कोलकाता, 22 दिसम्बर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक खुंखार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और बंगाल पुलिस के एसटीएफ की टीम ने कश्मीर के आतंकी जावेद मुंशी को कैनिंग अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है।

ज्ञातव्य है कि जावेद मुंशी पर कश्मीर में प्रतिबंधित तहरीक-ए-मुजाहिदीन संगठन का सदस्य होने का आरोप है। वह कई विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को लंबे समय से जावेद मुंशी की तलाश थी।

जानकारी के मुताबिक, जावेद मुंशी एक खुंखार आईईडी विशेषज्ञ और हथियार संचालक है। वह 2011 में अहल-ए-हदीस के नेता शौकत शाह की हत्या में शामिल था।

आतंकी जावेद मुंशी कई विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं और जम्मू-कश्मीर पुलिस को लम्बे समय से उसकी तलाश थी।

आतंकी जावेद मुंशी को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की जांच करने के लिए आतंकी को जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है।

उसके संपर्क है। आतंकी के पकड़े जाने पर सरकारी वकील विकास ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए यहाँ आई थी। सरकारी वकील ने बताया: "जावेद अहमद मुंशी नाम का 58 साल का एक शाख मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से काम कर रहा था। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड का आदेश दिया है। पुलिस ने आतंकी के पास से एक किताब, एक सीडी, एक प्लास्टिक बैग और कई दस्तावेज जब्त किए हैं।

आतंकी जावेद मुंशी को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की जांच करने के लिए आतंकी को जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 151 किलो गांजा बरामद

सारंगढ़, 22 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार से 30 लाख रुपये कीमत का 151 किलो गांजा बरामद किया।

जिले की डोंगरी पाली पुलिस ने जिस इनोवा कार से गांजा जब्त किया, वह सारंगपाली के किसी नेता की बताई जा रही है। पुलिस की घेराबंदी देख आरोपी वाहन छोड़ भाग गए। पुलिस इनोवा कार तथा गांजा जब्त कर आगे की कारवाई में जुट गई है।

पुलिस ने गांजा इनोवा कार से गांजा बरामद किया, वह किसी नेता की बताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की डोंगरीपाली सीमा से गांजा की तस्करी की जा रही थी। डोंगरीपाली पुलिस की मुस्तेदी और घेराबंदी देखकर गांजा तस्कर गांजा और वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, कार के रजिस्टर्ड नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गाँधी को बरेली न्यायालय ने तलब किया

बरेली, 22 दिसंबर। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 तारीख तय हुई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध फौजदारी निगरानी स्वीकार कर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजकर तलब किया है।

बरेली सुभाषनगर निवासी, अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ता

बरेली व जिला न्यायालय ने आर्थिक सर्वेक्षण पर राहुल गाँधी के बयान पर 7 जनवरी को उन्हें सुनवाई का नोटिस दिया।

वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एमएलए - एमपी कोर्ट/सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे कोर्ट ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कैशन कोर्ट में रिवांजन फाइल की गई।

अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए वर्ग विरोध की भावना पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में लाने की ललक में जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मन में शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना फैलाने का प्रयास किया है। राहुल के भाषण के हिस्से आपत्तिजनक हैं।

ट्रम्प अमेरिकी सरकार को जाम करने के कगार पर लाये

मुद्दा है, अमेरिकी सरकार के एक साधारण से फण्डिंग विधेयक को हाऊस में पास होने की इजाजत नहीं देना

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। डॉनल्ड ट्रम्प अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और अब अमेरिका में क्या होगा, उसका संकेत तब मिला, जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और उनके प्रथम सहायक एलन मस्क के विरोध के कारण, अमेरिका का एक बिल पास होने से रुक गया है।

ऐसा लगता है कि ट्रम्प और उनके प्रमुख सलाहकार एलन मस्क नई सरकार के कार्यभार ग्रहण से पूर्व, अमेरिका की रफ्तार ठप्प कर देने पर आमादा है।

अमेरिका सरकार का फंडिंग बिल मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रम्प ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि कर्ज पर सीमा के प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया जाए, ट्रम्प का आग्रह है कि कर्ज की सीमा, जो अमेरिका सरकार की सार्वजनिक ऋण उठाने की निर्धारित सैवधानिक ताकत को सीमित कर देती है, को पूरी तरह हटाया जाए।

इस प्रकार से पता चलता है कि नए राष्ट्रपति ट्रम्प और सदन के स्पीकर माइक जोनसन एक प्रक्रिया पर अड़ गए और ट्रम्प ने बिल पारित करने के लिए हाउस स्पीकर द्वारा तैयार डील को खारिज कर दिया।

अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, सरकार के खर्च के लिये धन प्राप्त करने के लिये विधेयक हाऊस में लाये जाते हैं। पर एक बार में कितना धन मिलेगा सरकार (राष्ट्रपति) को, इस पर एक सीलिंग निर्धारित है। रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक सदस्य, आपस में बातचीत कर, कुछ राजनीतिक व प्रशासनिक लेन-देन करके, सीलिंग आसानी से लांघते रहते हैं।

ट्रम्प ने अचानक यह स्टैंड लिया कि यह "सीलिंग व्यवस्था" गैर-वाजिब है, कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिये।

इस स्टैंड से खींचतान हुई व "फण्डिंग विधेयक" पारित नहीं हुआ।

इस प्रकार में हाऊस के सदस्यों को सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह लगी कि एलॉन मस्क, ट्रम्प के निकटतम मित्र व सलाहकार, ने 95 ट्वीट करके सीलिंग हटाने की मुहीम की शुरुआत की।

सदस्यों के अनुसार, एक गैर-सदस्य, जो सरकार में भी अधिकृत रूप से कोई पद नहीं रखता, हाऊस की प्रशासनिक परम्परागत व्यवस्था में कैसे बदलाव लाने का प्रयास कर सकता है।

यह बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि हाल ही में ट्रम्प ने माइक जोनसन को खुब तबज्जो दी थी। उन्हें गोल्फ क्लब और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बंदी दारवती, वे उन्हें बड़े-बड़े कार्यक्रमों में

भी ले जाते थे।

नए राष्ट्रपति ने अपने एक्शन एजेंडा के लिए पूर्व शर्त के रूप में इस पर जोर दिया। वे चाहते थे कि विधायिका को कर्ज (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकार चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट कर रही है'

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि यह संविधान व लोकतंत्र पर सीधा हमला है

नई दिल्ली, 22 दिसंबर। कांग्रेस ने चुनाव नियमों में बदलाव के केंद्र सरकार के फैसले को आलोचना की है, जिससे सीसीटीवी, वैबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्राप्त करना कठिन हो गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे "चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करने की व्यवस्था साजिश" बताया है और साथ ही कहा कि चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सर्वजनिक निरीक्षण के लिए दस्तावेजों को प्रतिबंधित करने के लिए शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा

चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने मतदान केंद्रों के सी.सी. टी.वी. को प्रतिबंधित किया।

था कि मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के दुरुपयोग से मतदाता की गोपनीयता से समझौता हो सकता है और इसका उपयोग एआई के उपयोग से फर्जी कहानियां तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।

सरकार के इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष ने सरकार पर "चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नष्ट करने" का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे "भारत के चुनाव आयोग

की अखंडता को नष्ट करने की व्यवस्थित साजिश" के तहत सरकार द्वारा किया हमला बताया।

खड़गे ने इस कदम की तुलना चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने से की और कहा, "सरकार द्वारा भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।"

खड़गे ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने चुनाव में अनियमितताओं के बारे में चुनाव आयोग को लिखा उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, "इससे यह फिर साबित होता है कि निर्वाचन आयोग अर्ध-न्यायिक निकाय होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है।

लुधियाना, अमृतसर, जालंधर नगर निगम में आप पार्टी जीती

चंडीगढ़, 22 दिसम्बर। पंजाब के 5 नगर निगमों में कौन बनेगा मेयर इसके लिए शनिवार को वोटिंग हुई। मतदान के बाद कल ही नतीजे भी घोषित किए गए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिली। पटियाला में जहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की तो वहीं अमृतसर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पटियाला में आप का और अमृतसर में कांग्रेस का मेयर बनेगा। इस चुनाव में फगवाड़ा में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

कांग्रेस प्रत्याशियों ने अमृतसर और फगवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल किया है।

लुधियाना में बहुमत का आंकड़ा 48 है और यहां 41 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लुधियाना में कांग्रेस की बात करें तो यहां के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु हार गईं, उन्हें आम आदमी पार्टी के गुप्रीत बब्बर ने हरा दिया। वहीं, वार्ड नंबर-77 में भाजपा उम्मीदवार पूनम रतड़ा ने विधायक अशोक पराशर पप्पी की पत्नी मीनू पराशर को हरा दिया। वेस्ट हल्के से आम आदमी पार्टी के विधायक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वाम दलों ने त्रिपुरा को पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी'

अमित शाह ने कहा, 2018 में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही त्रिपुरा में विकास हुआ

धलाई, 22 दिसंबर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विस्थापित ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास वाले गांव का दौरा किया। उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए वाम दलों (लेफ्ट पार्टियों) पर जमकर निशाना साधा। वाम दलों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के शासन के दौरान वाम दलों ने त्रिपुरा को पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि 2018 में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में प्रगति हुई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाम दलों के शासन के दौरान त्रिपुरा सभी मानकों पर पीछे रहा है, लेकिन अब प्रगति के रास्ते पर है। उन्होंने कहा, "वाम दलों ने 35 वर्षों तक त्रिपुरा में शासन किया। उनका दावा था कि वे गरीबों के कल्याण के लिए काम करते शासन किया, लेकिन राज्य की जनता हमेशा गरीब ही रही। भाजपा के सत्ता में आने के बाद यहां विकास हुआ।"

अमित शाह ने बताया कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 2017 में त्रिपुरा का दौरा किया था। वे पांच दिनों तक राज्य में रुके थे, इस दौरान केवल 11 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। उन्होंने आगे कहा, "हमने अपना काम शुरू किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, ब्रू आदिवासियों के 11 गांव स्थापित हो चुके हैं। वामपंथियों ने 35 साल के शासन में इनकी हालत सुधारने के लिये कोई कोशिश नहीं की।

हमने कड़ी मेहनत की और कम्युनिस्टों को सत्ता से बाहर किया।" केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाम दलों के शासन के दौरान केवल 2.5 फीसदी लोगों को पाइप से पीने का

पानी मिलता था। अब 85 फीसदी लोगों को पीने का पानी मिलता है। अमित शाह ने कहा, "कम्युनिस्ट शासन में गरीबों के लिए मुफ्त अनाज नहीं था, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो चावल मिलता है और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है।" उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में निवेश आया है और लोगों को मुफ्त बिजली और एलपीजी कनेक्शन मिलने लगे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि उग्रवादियों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद त्रिपुरा अब शांतिपूर्ण है। मां त्रिपुरासुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक होगा।

ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास का जिम्मा करते हुए अमित शाह ने बताया कि केंद्र और त्रिपुरा की सरकार ने 40,000 विस्थापित लोगों के पुनर्वास का फैसला किया। उन्होंने कहा, ब्रू लोग अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे थे। वामपंथी सरकारों ने उनकी हालत सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हम 11 गांव स्थापित कर चुके हैं। अमित शाह ने रविवार को बताया कि वे 2028 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में भाजपा और सीपीआई(एम) दोनों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमति जताई है।

बायन पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल-अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा ने मोदी की अगुवानी की और फिर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। मोदी ने अमीर के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस अवसर का विशेष अर्थ बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत एवं कुवैत के बीच मजबूत ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया तथा द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक विस्तारित एवं गहन बनाने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेता इस संदर्भ में, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)